(5)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक व वादी तथा प्रतिवादीगण 1, 2 व 6, 8 एवं प्रतिवादी संख्या 9,28 ता 30 व 33 के अभिभाषकगणों के नाम से बार–बार आवाज लगाई गई किन्तु हाजिर नहीं आये। अतः वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया